भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3151
दिनांक 22.03.2022/ 1 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए परिवहन सुविधा का विकास

†3151. श्री इंद्रा हांग सुब्बा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए परिवहन सुविधा के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत बजट का आवंटन किया गया है;

(ख) दुर्गम क्षेत्रों की कठिनाई संबंधी भत्तों के लिए बजट व्यय का प्रतिशत कितना है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान सुरक्षा बलों की आसान आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सीमा चौकी को जोड़ने के लिए बनाई गई सड़को की कुल लंबाई कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): सीमा रक्षक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यथा असम राइफल्स (एआर), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के लिए वर्ष 2022-23 हेतु पूंजी शीर्ष के तहत आवंटित कुल 3,158.06 करोड़ रूपये के बजट में से, सीमा रक्षक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए परिवहन सुविधा हेतु 'मोटर वाहन' शीर्ष के तहत 405.06 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, जो कुल आवंटन का 12.83% है।

(ख): वर्ष 2021-22 के लिए 'वेतन' शीर्ष के तहत सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स के कुल 68,623.73 करोड़ रूपये के बजट में से, जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान पर 3,944.00 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं (फरवरी 2022 तक), जो 'वेतन' शीर्ष के तहत बजट का 5.74% है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान सुरक्षा बलों की आसान आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सीमा पर स्थित सीमा चौकियों (बीओपी) को जोड़ने के लिए 705.181 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है।

*****